भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2977
10 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

केरल के पारंपरिक मछुआरे

2977. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में पारंपरिक मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि और राजसहायता की कमी के कारण पारंपरिक मछुआरों की कठिनाइयों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में पारंपरिक मछुआरों की 51,000 किलोलीटर मिट्टी के तेल के आवंटन की मांग पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का मिट्टी के तेल के आवंटन को 11,640 किलोलीटर से बढ़ाकर 51,000 किलोलीटर करने का विचार है ताकि मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) गैर-राजसहायता प्राप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी के तेल के कोटे को बढ़ाने के लिए केरल राज्य के अनुरोध पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को सुदृढ़ करने सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक पहल की हैं। विभाग द्वारा कार्यान्वित की गई प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत, विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल को 1,418.51 करोड़ रुपए की मात्स्यिकी विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

अनुमोदित गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ आजीविका को सुदृढ़ करने वाली विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जैसे डीप सी फिशिंग वेसेल्स (20), पारंपरिक मछुआरों के लिए बोट्स और नेट्स की रीप्लेसमेंट (200), स्टॉक की पुनर्बहाली के लिए तट के किनारे आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स की स्थापना (42), वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना (1,140), बायोफ्लॉक इकाइयाँ (780), और री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS) इकाइयाँ (708), ओर्नामेंटल फिश रियरिंग एवं प्रजनन इकाइयाँ (822), जलाशयों में केज (493) के साथ-साथ मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों (1,71,033) को आजीविका के लिए सहायता। इसके अलावा, राज्य में तटीय मात्स्यिकी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों (09) क्लाइमेट रेसीलिएंट कोस्टल विलेजस (06) की स्थापना और मत्स्य सेवा केंद्रों (10) एवं सागर मित्रों (222) सहित विस्तार सहायता सेवाओं को भी

स्वीकृति दी गई है। मत्स्य की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए ट्रांसपोर्ट वाहन (468) फिश कियोस्क (90) लाइव फिश वेंडिंग सेंटर (77) मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों (10) को भी स्वीकृति दी गई है।

केरल सरकार ने सूचित किया है कि केरल मछुआरा कल्याण कोष बोर्ड और मत्स्यफेड जैसे संस्थानों के माध्यम से, मत्स्यन के लिए निवेश के लिए ब्याज-मुक्त और रियायती ऋण का प्रावधान, मछुआरों के स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म-वित्त (माइक्रो फ़ाईनेन्स) सहायता, मछुआरों के बच्चों के लिए शिक्षा ऋण, मत्स्य विक्रय करने वाली मछुआरा महिलाओं को वित्तीय सहायता और फिशिंग क्राफ्ट्स, इंजन और उपकरणों की खरीद के लिए सहायता जैसी कई पहल की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य आय सुरक्षा को मजबूत करना, अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता को कम करना और मछुआरा समुदायों के बीच स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है।

(ख) से (ड): इस विषय के लिए नोडल मंत्रालय - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ने सूचित किया है कि चूंकि किरोसीन एक प्रदूषणकारी ईंधन है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अतएव केरल सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को PDS किरोसीन आवंटन 2010-11 से युक्तिपूर्ण बनाया गया है और अब तक 21 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पहले ही PDS किरोसीन मुक्त हो चुके हैं।

भारत सरकार ने केरल सरकार सहित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 2025-26 से 2027-28 की अवधि के लिए एक नई "PDS किरोसीन आवंटन नीति" तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत, खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के साथ-साथ विशेष जरूरतों के लिए तिमाही आधार पर "PDS SKO" की सिंगल श्रेणी के अंतर्गत आवंटन किया जाता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास यह फ्लेक्सिबिलिटी है कि वे इस आवंटन में से खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए या मात्स्यिकी, मेले, प्रदर्शनियों, महामारी या आपदाओं जैसी विशेष आवश्यकताओं के लिए उप-आवंटन कर सकते हैं । PDS नेटवर्क के अंतर्गत राज्य में PDS केरोसिन का वितरण और अंतिम लाभार्थियों को वितरण के पैमाने और मानदंड संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि नई नीति के अंतर्गत केरल राज्य को वर्ष 2025-26 के लिए PDS SKO का 22,704 KL आवंटित किया गया है, जबकि 2024-25 के लिए PDS SKO का कुल आवंटन 4,368 KL (सब्सिडी और गैर-सब्सिडी) है, जो आवंटन में 419.78% की वृद्धि को दर्शाता है। 2025-26 (तीसरी तिमाही तक) के दौरान आवंटन वृद्धि विवरण से संकेत मिलता है कि 5,676 KL के तिमाही आवंटन के मुकाबले, राज्य ने पहली तिमाही में 924 KL, दूसरी तिमाही में 5,580 KL और तीसरी तिमाही में 5,544 KL की वृद्धि की, शेष मात्रा संबंधित तिमाहियों में समाप्त हो गई। इसके अलावा, 1 मार्च 2020 से प्रभावी, PDS केरोसिन के रिटेल बिक्री मूल्य के लिए अखिल भारतीय आधार पर शून्य अंडर-रिकवरी को बनाए रखा जाता है।

*****